न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

21.01.2020

उत्पाद वाद संख्या-284/2019

राज्य

बनाम

1. रूद्रा सिंह, पिता-खोटा राम, सा0-डबरकी, थाना-करनाल, पिन नं0-132001, हरियाणा। (जप्त MARUTI SUZUKI CAR NO.-HR05N-2298 के स्वामी)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। **प्रस्तुत वाद सदर मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0-91/2018 दिनांक 08.03.2018 के आलोक में प्रारम्भ है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 2830/हि0शा0 दिनांक-29.07.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 08.03.2018 को कालीगंज बेलौरी सनौली मुख्य मार्ग के निकट की गई।** जांच के क्रम में **उक्त वाहन के चालक के सीट के पास से ROYAL STAG WHISKY का 01 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) विदेश शराब** पाया गया। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी वाहन मालिक को निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन क्षतिग्रस्त रूप में लगा हुआ था तथा चालक फरार था। चालक के सीट के नीचे से एक बोतल शराब पाया गया। जिस समय वाहन जप्त किया गया, उस समय वाहन पर कोई उपलब्ध नहीं था। अज्ञात अवस्था में वाहन जप्त किया गया है। जप्त वाहन से शराब का परिवहन करते हुए किन्ही व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही जप्त शराब की मात्रा से वाहन द्वारा शराब का परिवहन परिलक्षित नहीं होता है।

अतः इस वाद अंतर्गत **जप्त MARUTI SUZUKI CAR NO.-HR05N-2298** को राजसात से मुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन के स्वामित्व का सत्यापन कर उचित पहचान पर वैध स्वामी को वाहन हस्तगत करा दें तथा वाहन हस्तगत कराने से पूर्व वाहन का फोटोग्राफ लेकर अभिलेख में सुरक्षित रखें ।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया ।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया ।